भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की सम्पूर्ण सुरक्षा के उद्देष्य एवं प्रदूषण समस्या की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभारी निवारण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के अंतर्गत उत्तरांचल शासन द्वारा दिनांक 1 मई 2002 को उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया। राज्य बोर्डों के वित्तीय संसाधन सूदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 पारित किया गया। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत निहित प्राविधानों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी शक्तियां भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रदत्त की गयी हैं। पर्यावरण संरक्षण के अतिरिक्त कार्यों को देखते हुए दिनांक 13/7/2003 को उत्तरांचल शासन द्वारा बोर्ड का नाम परिवर्तित कर उत्तरांचल पर्यावरण सरंक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किया गया।

दिनांक 6 मई 2003 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में लखनऊ में दोनों राज्य बोर्डों के आस्तियो एवं दायित्वों के बंटवारे हेतु बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्य बोर्डों के बी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अदला बदली अविलम्ब हो जानी चाहिए। साथ ही साथ यह निर्णय भी लिया गया कि उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देहरादून व हल्द्वानी कार्यालय में जो भी सम्पत्ति है उन्हें उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ही सम्पत्ति माना जाये।

उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन के समय बोर्ड के देहरादून एवं हल्द्वानी स्थित कार्यालयों में कुल 33 कार्मिक कार्यरत थे। 17 कार्मिकों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण में वापसी हेतु विकल्प दिया गया था। शेष 16 कार्मिकों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया, अतः उनको राज्य बोर्ड का विकल्पधारी माना गया। उत्तरांचल बोर्ड द्वारा 31/3/2004 तक कुल 15 कार्मिकों को उनके विकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए कार्यमुक्त किया जा चुका है शेष दो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में उत्तरांचल बोर्ड में ही कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी राज्य बोर्ड को 5 विकल्पधारी कार्मिकों में से 4 को कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उनके द्वारा उत्तरांचल राज्य बोर्ड में योगदान भी प्रस्तुत कर दिया गया है। बोर्ड में 10 नये अधिकारियों/कार्मिकों की नियुक्ति भी की गयी है। विवरण संलग्नक–1 एवं 1(क) पर संलग्न है।

राज्य स्थापना के तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्व दोनों राज्य बोर्डों के अस्तियों एवं दायित्वों का अंतिम बंटवारा न होने के कारण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंर्तगत इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया। नई दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में दोनों राज्य बोर्डों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि दोनों बोर्डों के अध्यक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अस्तियों एवं दायित्वों का अन्तिम बंटवारा किया जाये। इस विषय पर अग्रिम कार्यवाही दोनों राज्य बोर्डों राज्य बोर्डों द्वारा की जा रही है।

राज्य बोर्ड द्वारा उत्तरांचल शासन स्तर पर जल व वायु अधिनियमों से सम्बन्धित वादों को मा0 न्यायालय में दाखिल करने हेतु एक अपीलेट अथारिटी बनायी गयी है। जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) उपकर अधिनियम 1977 के अंतर्गत भी बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अपीलेट आथारिटी गठित की गयीहै। उत्तरांचल राज्य में पर्यावरण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा विशेष न्यायिक न्यायाधीश (C.B.I.) को पदासीन किया गया है।

पर्यावरण सरंक्षण एवं जनजागरूकता हेतु जिला स्तर पर जिला पर्यावरण समिति बनायी गयी है जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी एवं संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी हैं। राज्य बोर्ड के क्षेत्राधिकारी नियमित रूप से प्रत्येक जिले में होने वाली इन बैठकों में भाग लेते हैं एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर उठने वाली समस्याओं के निवारण हेतु समिति के जिला स्तरीय अधिकारियों को बोर्ड की ओर से निर्देश दिये जाते हैं।